भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 383
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

383. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर आज की तारीख तक विशेष रूप से तमिलनाडु में वर्षवार, कंपनीवार, राज्यवार और जिलावार कुल कितना प्रीमियम एकत्र किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए योजना के प्रारंभ से लेकर आज की तारीख तक, वर्षवार, कंपनीवार, राज्यवार और जिलावार कुल कितने फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या बीमा कंपनियों के विरुद्ध अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किसानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए वर्षवार और राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों को हटाने और एक आश्वासन आधारित मॉडल प्रदान करने पर विचार किया है, जहां सरकार बीमा कंपनियों को बीच में लाए बिना सीधे फसल बीमा भुगतान करती है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने खरीफ 2016 सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) आरम्भ की है। पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों (अनाज, बाजरा और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक्चुरियल /बिडेड प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं।

ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार, पूरे देश में सीजन के लिए बेहद कम प्रीमियम दर किसानों से वसूली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। एक्चुरियल प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) को छोड़कर, जहां इसे

वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण मॉडल के मामले को छोड़कर 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, जिसके लिए दिशानिर्देश अलग से जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक किसानों से एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का वर्षवार, जिलावार और कंपनीवार विवरण क्रमशः **अनुबंध- I, II और III** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान के आकलन से संबंधित सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। यद्यपि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और देरी से भुगतान करने; बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान; उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की निधि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें देश में पहले भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतों का उचित ढंग से समाधान किया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों को हल करने के लिए, योजना के संशोधित परिचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित और जनवरी, 2024 में लॉन्च की गई है। एक एकल अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 दिया गया है और बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी तय की गई है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को एक एकीकृत मंच पर हितधारकों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

(ड.): वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-I

दिनांक 31.12.2024 को पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में किसानों द्वारा एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का वर्ष-वार विवरण (रुपये करोड़ में)		
वर्ष	**एकत्रित किसान प्रीमियम**	**भुगतान किए गए दावे**
2018-19	170.01	2,651.43
2019-20	177.54	1,265.97
2020-21	176.08	2,651.73
2021-22	166.93	817.13
2022-23	161.88	916.03
2023-24	149.32	741.25
2018-2023	**1,001.75**	**9,043.53**

अनुबंध- II

दिनांक 31.12.2024 तक वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में किसानों द्वारा एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का जिलावार विवरण

जिले का नाम	एकत्रित किसान प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे
	रुपये करोड़ में	
अरियालुर	18.53	126.87
चेंगलपट्टू	2.49	11.81
कोयंबटूर	2.12	12.59
कुड्डालोर	57.25	458.36
धर्मपुरी	9.03	58.72
डिंडीगुल	5.15	44.02
इरोड	10.49	10.55
कल्लाकुरिची	16.46	133.45
कांचीपुरम	10.96	100.40
कन्याकुमारी	1.15	5.81
करूर	7.64	56.16
कृष्णागिरी	1.07	8.60
मदुरै	12.23	58.75
माइलादुत्रयी	28.93	179.34
नागपट्टिनम	84.71	765.19
नमक्कल	16.51	239.50
पेरम्बलुर	14.77	174.11
पुदुक्कोट्टई	49.74	366.99
रामनाथपुरम	70.20	875.30
रानीपेट	6.45	36.89
सलेम	7.53	62.56
शिवगंगा	40.67	357.06
तेनकासी	9.64	97.39
तंजावुर	97.52	915.81
नीलगिरी	3.97	6.67
थेनी	2.40	7.32
तिरुवल्लुर	25.50	277.48
थिरुवरुर	124.87	1,274.91
तूतुकुड़ी	45.94	600.33
तिरुचिरापल्ली	29.82	209.90
तिरुनेलवेली	9.80	94.87
तिरुपथुर	1.02	13.27
तिरुपूर	4.42	29.24
तिरुवन्नामलाई	50.47	204.90
तूतीकोरिन	22.63	279.68
वेल्लोर	8.54	108.01
विलुप्पुरम	58.15	420.04
विरुधुनगर	32.99	360.69
कुल (2018-2023)	**1,001.75**	**9,043.53**

अनुबंध- III

दिनांक 31.12.2024 तक पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान तमिलनाडु में किसानों द्वारा एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का कंपनी-वार विवरण		
बीमा कंपनी	**एकत्रित किसान प्रीमियम**	**भुगतान किए गए दावे**
	रुपये करोड़ में	
कृषि बीमा कंपनी	458.31	3,969.61
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29.80	136.55
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.99	365.30
फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7.88	36.76
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	45.87	251.49
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	254.02	2,408.10
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	77.83	1,313.12
ओरिएंटल इंश्योरेंस	66.36	532.64
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14.76	1.84
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	6.93	28.12
(2018-2023) कुल	**1,001.75**	**9,043.53**

*****